न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2020

1 सरदारा पुत्र भोपाल जाति मीणा निवासी किढ़वाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र महावीर।
2 महेन्द्र पुत्र महावीर।
3 समुन्द्र पुत्र महावीर।
4 सुमेर पुत्र महावीर।
5 रामनिवास पुत्र बीरबल।
6 आशा देवी पत्नी जगदीश।
7 निकसन पुत्र जगदीश।
8 जुनियर पुत्री जगदीश।
9 अमरसिंह पुत्र नौरंग समस्त जाति मीणा निवासीगण किढ़वाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
10 सीनियर पुत्री जगदीश पत्नी रमेश कुमार जाति मीणा निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुंझुनू।
11 ग्राम पंचायत किढ़वाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
12 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किढ़वाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किढ़वाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
13 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

14 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ दावा उनवानी राजेन्द्र वगैरह
बनाम सरदारा वगैरह दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 116/2018 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक
28.01.2020

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद ड़ांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंटस के विरूद्व अदालत मातहत के यहां एक दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जमीन हाल खसरा नम्बर 647,651,652,653 सरहद मौजा किढ़वाना तहत तहसील सुरजगढ़ के बाबत घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के उक्त दावा को दिनांक 28.01.2020 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये है। तहसीलदार स्वंय मौके पर नही गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया। भौतिक कब्जे को नजर अंदाज किया गया है। मुताबिक भौतिक कब्जा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही हुये। अदालत मातहत ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय कैलाश बनाम रमेश में प्रतिपादित सिद्वान्तों की पालना नही की है। वृहद पीठ ने उक्त निर्णय में राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 के प्रावधानों की पालना को आदेशात्मक बताया है। अदालत मातहत के यहां अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव का ऐतराज लिखित में किया परन्तु ऐतराज को मनमर्जी से खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों की मौजुदगी में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के सन्दर्भ में पारित निर्देशों की समुचित पालना की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये है। तहसीलदार स्वंय मौके पर नही गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया। भौतिक कब्जे को नजर अंदाज किया गया है। मुताबिक भौतिक कब्जा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही हुये। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय कैलाश बनाम रमेश में प्रतिपादित सिद्वान्तों की पालना नही की है। वृहद पीठ ने उक्त निर्णय में राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स) 1955 के प्रावधानों की पालना को आदेशात्मक बताया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 299 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि " The Following question was Referred by the D.B. to The Larger Bench:"WHETHER UNDER RULE 18 To 20 OF RAJASTHAN TENANCY (Board of Revenue) Rules 1955- The proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may Sub-delegate his administrative power in respect of preparation of Proposal for division".

The Larger Bench has answered as under:-

(1) It is not mandatory that complete report was to be prepared by tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.
(2) Second question himself go to the site. Answer is in positive it means that tehsildar him self should go to the site.
(3) Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be present for pre parathion of partition proposal at the site.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प अलवर)

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की पालना में पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर